



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एमपीईडीए हाउस, पनम्पिल्ली एवेन्यू, कोच्चि- 682 036, केरल।

(टेलीफोन:0484-2311901) ईमेल: ho@mpeda.gov.in

वेबसाइट: www.mpeda.gov.in

PERS-HRD/5/2023-PERS

25.08.2023

अधिसूचना सं CR/01/2023

विषय: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अधीनस्थ सोसायटी, राष्ट्रीय चिरस्थायी जलकृषि केंद्र (नाक्सा) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को ठेका आधार पर भरने के संबंध में।

राष्ट्रीय चिरस्थायी जलकृषि केंद्र (नाक्सा), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अधीनस्थ एक सोसायटी, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित अपने मुख्यालय में ठेका आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को भरने का प्रस्ताव रखा है।

पद के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव अनुलग्नक-1 में दर्शाया गया है।

आवेदन एमपीईडीए की वेबसाइट www.mpeda.gov.in (अधिसूचना - अवसर - प्रारंभिक सूची) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीस दिन है।

ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आवश्यक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, आयु में छूट लागू होने पर जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ आवेदन के प्रिंटआउट की एक हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट द्वारा "सचिव, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, पनम्पिल्ली नगर, कोच्चि" को जमा किया जाना चाहिए। आवेदन के लिफाफे पर "ठेका आधार पर नाक्सा - एमपीईडीए में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए।

के.एस.प्रदीप
(के.एस.प्रदीप भा व से)
सचिव

संगठन:

राष्ट्रीय चिरस्थायी जलकृषि केंद्र (नाक्सा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

पद: मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रिक्तियों की संख्या: 1 (एक)

नियुक्ति की प्रकृति: ठेका आधार पर।

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:

मत्स्य पालन विस्तार/कृषि विस्तार/ग्रामीण विकास एवं योजना/सामाजिक कार्य आदि में मास्टर डिग्री या समकक्ष।

वांछनीय योग्यता:

कृषि/जलकृषि विस्तार गतिविधियों में अनुभव।

अनुभव (आवश्यक):

आवश्यक: ग्रामीण प्रबंधन/क्लस्टर प्रबंधन/ग्रामीण विकास में 5 वर्ष का अनुभव।

आयु सीमा: 30.09.2023 को 40 वर्ष से अधिक नहीं।

ठेके की अवधि: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे प्रदर्शन के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।

समेकित वेतन: ₹1,20,000/- प्रति माह। अनुभव के आधार पर पारिश्रमिक परक्राम्य है।

चयन प्रक्रिया:

- अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक, रोजगार समाचार पत्र और एमपीईडीए और इसकी सोसाइटियों की वेबसाइटों में अधिसूचना।
- आवेदनों की प्राप्ति।
- एक संवीक्षा समिति द्वारा आवेदनों की जांच।
- लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची एमपीईडीए वेबसाइट पर प्रकाशित करना।
- लिखित परीक्षा

- कौशल परीक्षण के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची प्रकाशित करना। (जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम कटऑफ अंक हासिल किया है)।
- कौशल परीक्षण
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत गठित चयन समिति।
- एमपीईडीए वेबसाइट पर उम्मीदवारों की चयन सूची प्रकाशित करना।
- चयनित सूची के अनुसार प्रस्ताव पत्र जारी करना।
- टीओआर पर हस्ताक्षर.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाक्सा की जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अध्यक्ष, नाक्सा के सामान्य पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत कार्य करेंगे।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी-
 - i. नाक्सा के कार्यकारी और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को तैयार और निर्धारित करेंगे, जिस पर वह गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार पूर्ण अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेंगे।
 - ii. नाक्सा द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी सेवाओं और नाक्सा के एमओए में उल्लिखित समान अन्य कार्यों के माध्यम से संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तटीय जलकृषि कृषि क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन प्रथाओं (बीएमपी) को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
 - iii. नाक्सा एसोसिएशन के ज्ञापन और लेखों में निर्धारित अनुसार अपने कार्यों को निष्पादित करेंगे।
 - iv. अध्यक्ष नाक्सा के परामर्श से, गवर्निंग काउंसिल के साथ-साथ सामान्य निकाय की बैठकें बुलाएंगे।
 - v. सोसायटी की बैठकों के लिए नोटिस जारी करेंगे और ऐसी बैठकों का रिकॉर्ड बनाए रखेंगे।
 - vi. ऐसी बैठकों के लिए अध्यक्ष नाक्सा के अनुमोदन से कार्यसूची तैयार करेंगे।
 - vii. बैठक की तारीख तक सभी महत्वपूर्ण पत्राचार गवर्निंग काउंसिल के समक्ष रखेंगे।
 - viii. गवर्निंग काउंसिल के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।
 - ix. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या अध्यक्ष नाक्सा द्वारा प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं।
 - x. गवर्निंग काउंसिल और जनरल बॉडी मीटिंग के निर्देशों या निर्णयों को प्रभावी करेंगे।
 - xi. ऐसी सभी बैठकों की कार्यवाही को बनाए रखेंगे।
 - xii. सोसायटी के कामकाज के संचालन और कार्यालय पर समग्र नियंत्रण की व्यवस्था करेंगे।

- xiii. सोसायटी की लेखाओं का रखरखाव करेंगे।
- xiv. सोसायटी के सभी दस्तावेजों और रिकार्डों की सुरक्षा अपने पास रखेंगे।
- xv. सभी कानूनी कार्यवाही में नाक्सा का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- xvi. सोसायटी की ओर से आम जनता, सरकारी विभाग, अन्य संस्थानों के साथ पत्राचार करेंगे।
- xvii. सोसायटी के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एमपीईडीए और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों, अन्य सोसायटी, किसान संघों, हैचरी एसोसिएशन, समुद्री खाद्य निर्यातक संघों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे।
- xviii. अध्यक्ष नाक्सा द्वारा समय-समय पर सौंपे गए निर्देशों और अन्य कर्तव्यों को उचित परिश्रम के साथ पूरा करेंगे।
- xix. सोसायटी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी प्रयास और उपाय करेंगे।
- xx. समाज से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने में पूर्ण व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे।

सामान्य शर्तें:

1. उपरोक्त पद के लिए निर्दिष्ट अनुभव निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद अर्जित अनुभव होगा।
2. आवेदन के साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र एवं अंक सूची सहित) के प्रमाण में दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।
3. ऑनलाइन आवेदन बंद होने के एक सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन की हार्ड कॉपी, अहस्ताक्षरित आवेदन, अधूरे आवेदन और आवश्यक प्रमाणपत्रों के बिना आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
4. केवल भारतीय नागरिकों को ही आवेदन करना होगा।
5. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता होगा।
6. निर्धारित योग्यताएं न्यूनतम हैं और यह विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से उच्च स्तर की योग्यता और अनुभव को अपनाकर उम्मीदवारों की संख्या को उचित स्तर तक सीमित करने का अधिकार सीधे राष्ट्रीय चिरस्थायी जलकृषि केंद्र में सक्षम प्राधिकारी के पास होगा।
7. राष्ट्रीय चिरस्थायी जलकृषि केंद्र, यदि पद को न भरने का निर्णय लेता है, तो उनके पास इसका अधिकार है।
8. यदि किसी भी स्तर पर, यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने का कोई प्रयास किया गया है, तो उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी या उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।



THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
(Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi- 682 036, Kerala.
(Tel:0484- 2311901), Email : ho@mpeda.gov.in
Web: www.mpeda.gov.in

PERS-HRD/5/2023-PERS

25.08.2023

NOTIFICATION No. CR/01/2023

Sub: Filling up of the post of Chief Executive Officer, in National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA), a Society under the Marine Products Export Development Authority, on contract basis - reg.

The National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA), Kakinada, Andhra Pradesh, a society functioning under the Marine Products Export Development Authority (MPEDA), proposes to fill up the post of Chief Executive Officer, on contract basis, in its headquarters located at Kakinada in Andhra Pradesh.

The qualification and experience required for the post are indicated in Annexure- I.

Application can be submitted online through MPEDA website www.mpeda.gov.in (*Notification - Opportunities - Opening List*). Last date of online application is thirty days from the date of issue of notification in Employment News. After successful submission of the online application, a signed hard copy of the printout of the application with self attested copies of the essential qualification, proof of age, caste certificate if age relaxation is applicable, shall be submitted to "The Secretary, Marine Products Export Development Authority, Panampilly Nagar, Kochi" within seven days from the date of closing of the online application, by speed post. The envelope of the application shall be superscribed as "*Application for the post of Chief Executive Officer in NaCSA - MPEDA on contract basis*".

(K.S.PRADEEP IFS)
SECRETARY

ANNEXURE – I

Organization:

The National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA), Marine Products Export Development Authority (MPEDA), Ministry of Commerce & Industry, Government of India.

Position: Chief Executive Officer

No. of vacancies: 1 (one)

Nature of appointment: On Contract basis.

Essential Educational Qualification:

Master's Degree or Equivalent in Fisheries Extension /Agriculture Extension/ Rural Development & Planning/ Social Work etc.

Desirable Qualification:

Experience in Agricultural / aquaculture extension activities.

Experience (Essential) :

Essential: 5 years experience in Rural Management / Cluster Management/ Rural Development.

Age limit: Not exceeding 40 years as on 30.09.2023.

Period of Contract: Initially for a period of one year, which is extendable up-to Five years based on performance.

Consolidated Pay: ₹1,20,000/- per month.The remuneration is negotiable based on the experience.

The Selection Process :

- Notification in Leading national daily, Employment news and websites of MPEDA and its societies.
- Receipt of applications.
- Scrutiny of applications by a Scrutiny Committee.
- Publish the list of candidates eligible for written test in MPEDA website.
- Written test

- Publish the shortlist of candidates for skill test. (Those who secure minimum cutoff mark in the written test).
- Skill test
- Selection Committee duly constituted by the Competent Authority.
- Publish select list of candidates in MPEDA website.
- Issue offer letter as per select list .
- Signing of ToR.

Responsibilities & duties of CEO, NaCSA:

1. Chief Executive Officer (CEO) shall function under the general supervision and guidance of the President, NaCSA.
2. The CEO-
 - i. Shall prepare and prescribe the duties and responsibilities of the Executive and other staffs of NaCSA, over whom he shall exercise complete disciplinary control in accordance with such rules and regulations as may be approved by the Governing Council.
 - ii. Shall be responsible for implementing the Better Management Practices (BMPs) in coastal aquaculture farming areas for ensuring sustainability of operation through the technical services extended by NaCSA and similar other works as outlined in the MOA of NaCSA.
 - iii. Shall carry out his functions as stipulated in the Memorandum and articles of Association of NaCSA.
 - iv. Shall convene meetings of the Governing Council as well as the general body, in consultation with the President NaCSA.
 - v. Shall issue notices for the meetings of the Society and maintain the records of such meetings.
 - vi. Shall prepare the agenda for such meetings with the approval of the President NaCSA.
 - vii. Shall place before the Governing Council all important correspondences up to the date of the meeting.
 - viii. Shall take appropriate steps to execute the decisions of the Governing Council.
 - ix. Shall perform such other duties as may be prescribed by the Governing Council or delegated by the President NaCSA.
 - x. Shall give effect to the directions or decisions of the Governing Council and General Body meeting.
 - xi. Shall maintain the proceedings of all such meetings.
 - xii. Shall make arrangements for the conduct of the business of the Society and overall control over office.

- xiii. Shall maintain the accounts of the Society.
- xiv. Shall keep custody of all documents and records of the Society.
- xv. Shall represent NaCSA in all legal proceedings.
- xvi. Shall make correspondence with general public, Govt. department, other institutions on behalf of the Society.
- xvii. Shall keep liaison with MPEDA & its field offices, other Societies, Farmers Associations, Hatchery Associations, Seafood Exporters Associations, Financial Institutions and other stake holders to ensure smooth functioning of the Society.
- xviii. Shall carry out the directions and other duties as assigned by the President NaCSA from time to time with due diligence.
- xix. Shall make all such efforts and measures as may be required to achieve the objective of the Society.
- xx. Shall maintain absolute personal integrity in carrying out the functions relating to the society.

General Conditions:

1. Experience specified for the above post shall be the experience acquired after obtaining the prescribed educational qualifications.
2. Self attested copies of the documents in proof of age, educational qualification (with certificates and mark list) should be attached with the application.
3. Hard copy of the application received after one week of closing the online application, unsigned applications, incomplete applications and without the required certificates will be summarily rejected.
4. Only Indian Nationals need to apply.
5. Canvassing in any form will be a disqualification.
6. The prescribed qualifications are minimum and it would be open to the Competent Authority in the National Centre for Sustainable Aquaculture to restrict the number of candidates for consideration to a reasonable level by adopting qualifications and experience of a higher level than the minimum prescribed in the advertisement.
7. The National Centre for Sustainable Aquaculture reserves the right not to fill up the post, if it so decides.
8. If at any stage, it is discovered that any attempt has been made by the applicant to willfully conceal or misrepresent any fact, his/her candidature will be summarily rejected or his /her appointment will be terminated.
